

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी सासनी (हाथरस)

पत्रांक

126 / गौवंश चारा / ई0टैण्डर / 2026-27

दिनांक

14.05.2026

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना (द्वितीय)

वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास खण्ड सासनी में संचालित अस्थाई गौ आश्रय स्थल पराग गौशाला सासनी एवं सामाई रूहल में संरक्षित गौवंश के भरण पोषण हेतु (हरा/सूखा) चारे की व्यवस्था करने के लिए गेहूँ का भूसा, पुआल (धान), हरा चारा जिसमें (ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, वरसीम एवं गन्ना) एवं साइलेज का माँग के अनुसार प्रतिदिन/समय-समय पर क्य किया जाना है। वर्तमान में विकास खण्ड में लगभग 1500 गौवंश संरक्षित हैं। भविष्य में गौशाला एवं गौवंश की संख्या घट बढ़ सकती है। जिसकी दरें प्रति कु0 निर्धारित करने एवं दरों में एकरूपता मनाये रखने के लिए न्यूनतम दरों वाली फर्मों के चयन हेतु विभिन्न फर्मो/एजेन्सियों से तकनीकी एवं वित्तीय ई0 निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य स्थल पर आपूर्ति हेतु ई-निविदाये (आनलाइन विड्स) <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से प्री-क्वालीफिकेशन टेक्नीकल बिड एवं प्राइज बिड/ फाइनेन्शियल बिड दिनांक 15.05.2026 अपरान्ह 3:00 बजे से दिनांक 23.05.2026 की अपरान्ह 1:00 बजे तक देखी/डाउनलोड/अपलोड की जा सकती हैं। प्री-क्वालीफिकेशन टेक्नीकल बिड दिनांक 23.05.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी सासनी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आनलाइन खोली जायेगी एवं प्री-क्वालीफिकेशन विड में उपयुक्त पाये गये निविदा दाताओ के प्राइज बिड/फाइनेन्शियल बिड दिनांक 25.05.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे खोली जायेगी। नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ, कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश की दशा मे यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

क्र0सं0	कार्य का नाम	आपूर्ति कुन्तल में	क्य दर अधिकतम रूपये में प्रति कुन्तल	धरोहर राशि (ई.एम'डी). (रूपये) में	निविदा फार्म की फीस (रू0) में	आपूर्ति करने की अवधि
1	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवंशो हेतु गेहूँ काभूसा आपूर्ति	ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला हेतु मांग के अनुसार	800.00	30000.00	500.00	31-03-2027 तक
2	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवंशो हेतु धान का पुआल आपूर्ति	ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला हेतु मांग के अनुसार	650.00	30000.00	500.00	31-03-2027 तक
3	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवंशो हेतु हरा चारा आपूर्ति	ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला हेतु मांग के अनुसार	300.00	30000.00	500.00	31-03-2027 तक
4	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवंशो हेतु दाना आपूर्ति	ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला हेतु मांग के अनुसार	2200.00	10000.00	500.00	31-03-2027 तक
5	विकास खण्ड में संचालित समस्त अस्थाई/स्थाई गौशाला में गौवंशो हेतु साइलेज आपूर्ति	ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला हेतु मांग के अनुसार	800.00	20000.00	500.00	31-03-2027 तक



निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
2. क्रय समिति के यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा निरस्त कर दे।
3. निविदा दिनांक 15.05.2026 अपरान्ह: 3:00 बजे से दिनांक 23.05.2026 की अपरान्ह 1:00 बजे तक देखी/डाउनलोड/अपलोड की जा सकती हैं। ई0 निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति एवं अन्य प्रपत्र कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में दिनांक 23.05.2026 की अपरान्ह 2:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होंगी। तदुपरान्त दिनांक 23.05.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे से तकनीकी विड एवं दिनांक 25.05.2026 को 3:00 बजे से वित्तीय विड विकास खण्ड सासनी कार्यालय में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।
4. निविदा के साथ उपरोक्तानुसार धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0 धरोहर राशि (ई.एम'डी). के रूप में जो खण्ड विकास अधिकारी सासनी के नाम बन्धक होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि(ई.एम'डी).के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदादाता का जी.एस.टी. पंजीकरण होना अनिवार्य है जिसकी स्वप्रमाणित प्रति निविदा के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
6. निविदा दो भागों में विभक्त होगी:-
 - अ) तकनीकी निविदा:- फर्म को तकनीकी निविदा के साथ धरोहर राशि (ई.एम'डी) मूलरूप में, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, पैनकार्ड की प्रमाणित छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, रू0 10 के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा उपलब्ध करानी होगी कि उनकी फर्म को किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है तथा निविदा की समस्त शर्तें उनको स्वीकार है।

उपरोक्त समस्त प्रपत्र/अभिलेख की स्व प्रमाणित प्रति ई0 निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा तथा ई0 निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेजों की प्रति एवं अन्य प्रपत्र कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में दिनांक 23.05.2026 की अपरान्ह 1:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होंगी। लिफाफे पर फर्म का नाम एवं पता तथा चारा आपूर्ति तकनीकी विड लिखना होगा। तकनीकी विड में सफल घोषित होने पर वित्तीय विड खोली जायेगी।
 - ब) वित्तीय निविदा:- वित्तीय निविदा में फर्म को न्यूनतम दर अंकित कर ई0 निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा तथा ई0 निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेजों की प्रति एवं अन्य प्रपत्र कार्यालय में रखे टैण्डर बॉक्स में दिनांक 23.05.2026 की अपरान्ह 1:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होंगी। लिफाफे पर फर्म का नाम एवं पता तथा चारा आपूर्ति हेतु विड लिखना होगा।
8. निर्धारित तिथि व समय तक प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोला जायेगा। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी जिसमें सफल होने पर वित्तीय निविदा खोली जायेगी। क्रय समिति द्वारा न्यूनतम दरों को स्वीकार किया जायेगा।
9. सफल निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर के आधार पर सम्बन्धित गौशाला की ग्राम पंचायत के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु रू. 100 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 07 दिवस अनुबन्ध करना होगा। न्यूनतम दरें दिनांक 31.03.2027 तक मान्य होगी। विशेष परिस्थिति में दर अनुबन्ध को एक माह तक यथा दिनांक 30.04.2027 तक बढ़ाने का अधिकार (ग्राम स्तरीय मूल्यांकन अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति की संस्तुति पर) ग्राम पंचायत सचिव को होगा। अनुबन्ध के समय एक माह की आपूर्ति मूल्य के बराबर धराशि के पाँच प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0 सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नाम से जमानत के रूप में देनी होगी। न्यूनतम दर वाली फर्म द्वारा अनुबंध के असफल होने की दशा में धरोहर राशि/जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता से न्यूनतम दरों पर अनुबंध करने पर विचार किया जायेगा।

आपूर्ति:-

1. ग्राम पंचायत में संचालित अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल समिति की मांग के अनुसार उनके द्वारा क्रय आदेश निर्गत तकिया जायेगा। क्रय आदेश के सापेक्ष गौवंश आश्रय स्थल को फर्म द्वारा चारा आपूर्ति (मय लोडिंग एवं अनलोडिंग) करते हुए बीजक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। आपूर्ति चारे/अन्य सामग्री का नेत्र परीक्षण संबंधित द्वारा किया जायेगा। चारे/अन्य सामग्री की गुणवत्ता सही होने पर संचालन समिति द्वारा उसका फर्म भुगतान किया जायेगा।

आपूर्ति अधिकतम दो दिवस के अन्दर करनी अनिवार्य होगी। आपूर्ति के अभाव में यदि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो जमानत धनराशि जब्त कर फर्म के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

3. गौवंशो/गौशालाओं की संख्या में परिवर्तन के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा में परिवर्तन का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निहित होगा।

4. भुगतान:-

आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान संबन्धित अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल समिति द्वारा उपलब्ध बजट/धनराशि के प्राप्त होने पर किया जायेगा। भुगतान में देरी के कारण फर्म को किसी प्रकार की ब्याज /पेनाल्टी अथवा अन्य कोई भुगतान अलग से देय नहीं होगा। बिलो से नियमानुसार टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी गुणवत्ता:-

चारे की आपूर्ति प्राप्त करते समय उसका नेत्र परीक्षण किया जायेगा। यदि नेत्र परीक्षण के समय अद्यमानक प्रतीत हुआ तो चारे को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने व्यय पर वापस लेना होगा। चारे में किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ, धूल, बाहरी तत्व जैसे लोहे के टुकड़े आदि नहीं होने चाहिए।

अन्य शर्त:-

1. यदि आपूर्ति के संबन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नियमानुसार क्रय समिति के निर्णय के माध्यम से निपटारा किया जायेगा एवं क्रय समिति/ का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी प्रकार के विधिक प्रकरण में न्याय क्षेत्र जनपद हाथरस होगा।
2. शासन स्तर से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान किया जाना सम्भव होगा तथा चारा निरन्तर उपलब्ध कराना अति आवश्यक होगा।
3. निविदा फार्म की फीस बैंक डी0डी0 अथवा खण्ड विकास अधिकारी सासनी के बैंक खाता संख्या 153310100027062 आई0एफ0एस0 कोड BARBOBUPGBX उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक सासनी में जमा करानी होगी जो किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी। प्रत्येक मदवार निविदा के लिए अलग-अलग धनराशि जमा करनी होगी।

(सुरेन्द्र सिंह)
खण्ड विकास अधिकारी
सासनी(हाथरस)

पत्रांक 126 /गौवंश चारा/ई0टैण्डर/2026-27
प्रतिलिपि-निम्न की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

तद दिनांक। 14/05/26

1. जिलाधिकारी, महोदय हाथरस।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय हाथरस की सेवा में सूचनार्थ।
- 3-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हाथरस।
4. जिला विकास अधिकारी महोदय हाथरस।
5. उप जिलाधिकारी सासनी हाथरस।
6. उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सासनी/पशु चिकित्साधिकारी देदामई।
7. टेण्डर समिति के सदस्य।
8. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, हाथरस को साइड पर अपलोड हेतु।
9. लेखाकार विकास खण्ड सासनी।
10. सचिव/प्रधान ग्राम पंचायत महमूदपुर वरसै/समामई रूहल।
11. नोटिस वॉर्ड पर चस्पा करने हेतु।

खण्ड विकास अधिकारी
सासनी(हाथरस)